LOK SABHA

Wednesday, June 22, 1977/Asadha 1, 1899 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मीसा और डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्य

*142. **श्री बन्ना सिंह गुलशन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थिति के दौरान मीसा और डी० आई० एस० आई० आर० के अन्तर्गत नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्यों की संख्या क्या है; और

(ख) इन्हें किन-किन जेलों में नजरबन्द किया गया और इन्हें कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार दो महिला संसद् सदस्य मीसा के अधीन और एक भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन नजरबन्द की गई थीं ।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

आपातस्थिति के दौरान नजरबन्द की गई महिला संसद् सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में सूचना

1. **श्रीमती विजयाराजे सिंधिया** : उन्हें बेसन लाज कम्पलैक्स पंचमढ़ी, होशंगाबाद जिले में 9-7-75 से 2-9-75 तक नजरबन्द रखा गया । उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई :—

(क) अपना रसोइया, बिस्तर, कपड़े, लांड्री इत्यादि

(ख) अपने खर्चे पर समाचार पत्र और पत्रिकाएं

(ग) एक महिला वार्डन

(घ) चिकित्सा सुविधा

(ङ) अपने खर्चे पर एक परिचारिका रखने की अनुमति दी गई ।

2-9-75 को उन्हें केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में स्थानान्तरित किया गया, जहां उन्हें 3-9-75 को दाखिल किया गया । उन्हें श्रेणी 'क' सुविधाएं प्रदान की गई । उन्हें 22-11-75 से 30-11-75 तक और पुनः 23-1-76 को पैरोल पर छोड़ा गया था । उनकी पैरोल की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई थी और उनकी नजरबन्दी का आदेश 12-2-77 को समाप्त किया गया ।

2. **श्रीमती शकुन्तला नय्यार** : उन्हें 9-10-75 को जिला जेल लखनऊ में नजरबन्द किया गया था । उनके साथ उत्कृष्ट श्रेणी के कैदी जैसा बरताव किया गया था और उन्हें उत्तर प्रदेश सुरक्षा

बन्दी नियम, 1972 के अधीन दी जाने वाली सभी सुविधाएं दी गई थीं। उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया गया था। उन्हें एक पृथक रसोईघर की अनुमति दी गई थी। उनका खाना बनाने के लिए एक महिला कैदी उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रयोजन के लिए उन्हें बरतन भी दिये गये थे। उन्हें एक पृथक गुसलखाने की सुविधा दी गई थी जिसमें एक दरवाजा था।

श्रीमती नय्यर को अपना बिस्तर प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी और जब भी आवश्यक हुआ उन्हें कपड़े दिये गये। उन्हें कमरे से बाहर सोने की अनुमति दी गई। इस शिकायत पर कि मानसिक रूप से असंतुलित महिला कैदी रात्रि में उनको परेशान करती है, ऐसे कैदियों को जेल से हटाने की तुरन्त कार्यवाही की गई। जेल के वरिष्ठ अधिकारी सुविधाओं के बारे में उनसे सम्पर्क रखते थे और उन्हें कोई शिकायत नहीं थी।

17-10-75 को महिला चिकित्सालय लखनऊ की सीनियर मैडिकल सुपरिंटेंडेंट ने श्रीमती नय्यर की परीक्षा की। डाक्टरी सलाह पर उन्हें 1-11-75 को पैरोल पर छोड़ दिया गया। पैरोल की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। नजरबन्दी का आदेश 21-1-77 को रद्द कर दिया गया।

3. **कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल** : उन्हें भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किया गया और 15-8-76 की शाम को अहमदाबाद केन्द्रीय जेल में दाखिल किया गया। उन्हें 16-8-76 को छोड़ दिया गया। उन्हें जेल में एक चारपाई तथा कालीन प्रदान की गई थी।

श्री अन्ना सिंह गुलशन : क्या यह सच है कि भूतपूर्व संसद सदस्या महारानी गायत्री देवी को जयपुर जेल में पागल औरतों के साथ रखा गया और उनके साथ निन्दनीय ढंग से व्यवहार किया गया, रात को उन्हें सोने नहीं दिया गया, सोने के लिये चारपाई नहीं दी गई ?

श्री चरण सिंह : महारानी गायत्री देवी को दिल्ली के तिहाड़ जेल में महिला वार्ड में रखा गया था। महिला वार्ड वहां पर सी-क्लास कैदियों के लिये है, इस लिये उन को तकलीफ तो होती थी, लेकिन उन के लिये भोजन हम अपने बैरक में बनवा कर भेजते थे।

श्री अन्ना सिंह गुलशन : क्या वह सच है कि उन को पागल औरतों के साथ रखा गया था ?

श्री चरण सिंह : उन को पूरा पागल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर वहां पागल औरतें होतीं तो उन को लूनैटिक एसाइलम में भेजा जाता, इस लिये पूरी पागल औरतें उन के साथ नहीं थीं।

श्री शिव नारायण : जेल में केवल महारानी गायत्री देवी के साथ ही ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि दूसरी महारानियों भी थीं, श्री जार्ज फरनान्डीज़ के भाई के साथ भी ऐसा व्यवहार हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध भी आप कोई स्टैप लेने जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह : जेल में एमर्जेंसी के जमाने में जो ज्यादतियां हुई हैं—शाह कमीशन के सामने वे सब बातें आयेंगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी भी उस समय दिल्ली जेल में हमारे साथ थे। क्या यह बात सही है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में केवल एक ही महिला वार्ड है और उस में ही आधी पागल औरतों को, प्रीसेज को या जेबकतरी औरतों को रखा गया, जिस समय महारानी गायत्री देवी और महारानी सिंधिया

वहां मौजूद थीं? क्या यह सही है कि उन के पास अपना खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और आप के वार्ड से उन के लिये खाना बना कर भेजा जाता था ? अगर यह सब ठीक है तो क्या भविष्य में सुधार करने के लिये पोलिटीकल महिला कैदियों के लिये अलग से व्यवस्था की जायगी, हालांकि जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि पोलिटीकल महिला कैदी उनके कार्यकाल में नहीं होंगी, लेकिन यदि ऐसा हो भी तो उनके सुधार के लिये आप क्या करेंगे ?

श्री चरण सिंह : महारानी गायत्री देवी को तो 'कोफेपोसा' के तहत गिरफ्तार किया गया था। 'महारानी' सिंधिया भी वहां कुछ समय के लिये रही थीं यह ठीक है कि महिला वार्ड में हर प्रकार की महिलायें कैद थीं। लेकिन जहां तक पागल महिला का सम्बन्ध है, पागल को वहां नहीं रखा जा सकता था। अर्ध-पागल, विक्षिप्त वहां हो सकती है। लेकिन पूरी पागल कोई महिला उन के साथ नहीं थी।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने यह प्रश्न पूछा था चूंकि वहां एक ही महिला वार्ड है, इस लिये आइन्दा महिला पोलिटीकल कैदियों के लिये आप क्या व्यवस्था करने जा रहे है?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ है और होम मिनिस्ट्री में सारे हिन्दुस्तान के स्तर पर जेलों में सुधारों को बाबत विचार हो रहा है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : वर्तमान संसद सदस्यों के अलावा क्या देश को विभिन्न जेलों में कुछ ऐसी भी दूसरी महिलाएं रही हैं जो कि भूतपूर्व संसद सदस्य हैं ? क्या इसकी जानकारी आप को है कि उन की संख्या कितनी है और कहां कहां वे रही हैं ?

श्री चरण सिंह : भूतपूर्व संसद सदस्याओं के विषय में यह प्रश्न नहीं है। उस के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर : मंत्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि हम भी तिहाड़ जेल में रहे हैं। वहां एक वार्ड में जो पागल औरतें रखी जाती हैं उनको शोक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसी एक ही जेल है जिस में पागल औरतों को रखते हैं, यह मंत्री महोदय को मालूम है ?

श्री चरण सिंह : यह तो नहीं मालूम है लेकिन मैं आप के तजुर्बे से इंकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपातकाल के समय में काफी महिलाओं को डी०आई० आर० के अन्दर लिया गया था और डी० आई० आर० में उन के खिलाफ़ मुकदमे चलाए गये थे। ऐसे केसेज अभी चल रहे हैं ? क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि डी० आई० आर० में जो ऐसे केसेज बनाए गये हैं, उन को पूर्णतया समाप्त किया जाएगा और वापस लिया जाएगा ?

श्री चरण सिंह : मैं इसके बारे में क्या कहूं। घोषणा तो पहले ही हो चुकी है और अब कोई केस डी० आई० आर० में नहीं है। कोई महिला इस वक्त डी० आई० आर० के अन्तर्गत डिटेंशन में नहीं है। यह एम०पीज़ के मुताल्लिक सवाल था जो इस सदन की मेम्बर रही हों या राज्य सभा की मेम्बर रही हों। केवल तीन महिलाएं ही ऐसी थी एक थीं ग्वालियर की महारानी, दूसरी उत्तर प्रदेश की शकुन्तला जी और तीसरी कुमा

मणिबेन पटेल, सरदार पटेल की सुपुत्री । वे केवल एक दिन ही जेल में रहीं । बाकी दो के बारे में मैं ने बता ही दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपातकाल के समय काफी महिलाओं को डी०आई०आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और उन पर आज भी केसेज चल रहे है । आप कहते हैं कि सब को छोड़ दिया गया है लेकिन मेरा कहना यह है कि सब के केसेज को वापस नहीं लिया गया है और उन पर केस चल रहे हैं । इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप फिर घोषणा कीजिए और उन के केसेज को वापस लीजिए ।

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतने बल के साथ माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो मैं उन से कहूंगा कि वे मेहरबानी कर के मुझे नाम बता दें और आज ही आर्डर जारी हो जाएगा ।

SHRI K. LAKKAPPA: I would like to know whether there are certain former rulers who were hoarding money, jewels and lots of black money.

MR. SPEAKER: That does not arise out of this.

SHRI K. LAKKAPPA: I want to know whether the present Government is not taking action against them for such things.

MR. SPEAKER: It is not proper. Do not provoke others. You can put a separate question about their hidden wealth etc.

SHRI K. LAKKAPPA: There are certain cases against Maharani Gayatri Devi under COFEPOSA for hoarding money, blackmarketing, keeping a huge amount of wealth etc. I want to know whether they are proceeding against them or not.

MR. SPEAKER: You should not provoke other people. Whether Shrimati Gayatri Devi has done something wrong or not, we are not discussing that now. It does not arise out of the question at all.

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): Only relevant supplementaries can be put. Should an opportunity be taken to defame people?

श्री अमृत दवे : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जेलों में महिलाओं पर जो अत्याचार हुए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट सरकार के पास है ? यदि है तो सरकार उस पर क्या एक्शन लेना चाहती है ?

श्री चरण सिंह : अत्याचारों का इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है । मैं अर्ज कर चुका हूं कि यदि अत्याचार हुए हैं तो वे शाह कमीशन के पास जाएंगे ।

प्रधान मंत्री सहायता कोष

*144. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रधान मंत्री के सहायता कोष में कुल कितना धन है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उक्त कोष में कितना धन था तथा इस कोष का मुख्य स्रोत क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन व्यक्तियों और संस्थाओं ने इस कोष के लिए धन दिया तथा उन्होंने कितना-कितना धन दिया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष में से कितना धन खर्च किया गया तथा इसको किस उद्देश्य के लिए खर्च किया गया ?